मत्स्य निदेशालय

उत्तर प्रदेश

दिनांकः 30 मई, 2023

पत्र संख्या- /प्र0मं0म0सं0यो0-सा0पत्रावली/2023-24

सार्वजनिक सूचना

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत मत्स्य विकास की विभिन्न उप योजनाएँ संचालित की गयी हैं जिनमें लाभार्थीपरक योजनाओं के अन्तर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त करने हेतु विभागीय पोर्टल http://fisheries.up.gov.inपर आनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 30.05.2023 से दिनांक 15.06.2023 तक किया जाता है आवेदन प्रस्तुतकर्ता उक्त विभागीय पोर्टल पर स्वयं अथवा जनसेवा सूचना केन्द्र के माध्यम से पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। योजना की गाइडलाइन्स उक्त विभागीय पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.inपर उपलब्ध हैं जिसमें लाभार्थी की पात्रता एवं अनुदान सीमा का उल्लेख किया गया है।

उक्त योजना का कार्यान्वयन क्षेत्रीय स्तर पर समूह आधारित (क्लस्टर बेस्ड) किया जायेगा। सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जायेगी।

1. योजना के अन्तर्गत का लाभ मछुआ, मत्स्य पालक, फिश वर्कर एवं फिश वेन्डर, मात्स्यिकी के क्षेत्र में स्वंय सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह, मत्स्य सहकारिता, मत्स्य संघ, मत्स्य उद्यमी, निजी फर्म, फिश फार्मर प्रोड्यूशर आर्गेनाइजेशन/कम्पनीज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांगजन आदि लाभार्थीपरक परियोजनाओं हेतु आवेदन कर सकते हैं।

2.योजनान्तर्गत वृहद आर0ए0एस0 परियोजना में अन्य श्रेणी को 20 प्रतिशत तथा महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 25 प्रतिशत अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त सभी परियोजनाओं में अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को कुल इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थियों को अधिकतम 60 प्रतिशत अनुदान धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से देय है। अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अंश एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अंश स्ववित्तपोषण से अथवा बैंक से ऋण लेकर लाभार्थी अंश के रूप में वहन करना होगा। लाभार्थियों को देय अनुदान की धनराशि दो अथवा तीन किश्तों में उपलब्ध करायी जायेगी जो बैक इण्डेड होगी।

3.भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक-जे0-117012-3/2020, दिनांक 24 जून, 2020 के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) को लागू किये जाने हेतु इस योजना के संचालन व क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तथाशासनादेश सं0-31/2020/ 1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020, आदेश संख्या- 36/2022/852/सत्रह-म-2022/6-9(03)/2020 दिनांकः 08 अगस्त, 2022 एवं संख्या- 38/2022/1125/सत्रह-म-2022/ 6-9(03)/2020 दिनांकः 14 अक्टूबर, 2022 द्वारा संशोधित निर्देशों के क्रम में चयन की कार्यवाही की जाएगी

4. योजना के अन्तर्गत रु0 20.00 लाख से अधिक परियोजना लागत की परियोजनाओं मे लाभार्थी अंश का कम से कम 25 प्रतिषत धनराषि बैंक ऋण के माध्यम से लिया जाना अनिवार्य होगा।

5. योजना में व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु तालाब निर्माण इत्यादि परियोजनाओं के लिये 2.0 हेक्टेयर तक की सीलिंग निर्धारित की गयी है परन्तु समूह में 20.00 हेक्टेयर तक की सीलिंग निर्धारित है।

6. योजना का लाभ लेने के लिए स्वयं की भूमि की उपलब्धता के अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। योजनाओं के संचालन हेतु लाभार्थी रजिस्टर्ड पट्टे पर भी भूमि की व्यवस्था कर सकते हैं परन्तु इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजानाओं के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की पट्टा अवधि एवं शेष परियोजनाओं के लिए 7 वर्ष से कम का पट्टा अवधि अनुमन्य नहीं है। भूमि क्रय करने, पट्टे पर लेने के लिए परियोजनाओं में धनराशि का प्राविधान नहीं है। लाभार्थी को प्रमाण-पत्र के माध्यम से यह घोषणा करनी होगी कि परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि विवाद रहित है।

7. पट्टे की भूमि पर लाभार्थी द्वारा कोई योजना क्रियान्वित की जाती है तथा पट्टा किन्हीं कारणों से निरस्त होता है तो लाभार्थी को 12 प्रतिशत ब्याजदर से अथवा बैंक ब्याजदर से इनमें जो भी दर अधिक होगी, सहित योजना हेतु उपलब्ध करायी गयी अनुदान की धनराशि ब्याज सहित मत्स्य विभाग को वापस करना अनिवार्य होगा।

8. लाभार्थियों को परियोजना से सम्बन्धित सभी वैधानिक अनुमतियां प्राप्त कर परियोजना प्रस्ताव के साथ देना अनिवार्य होगा।

9. आवेदनकर्ता को इच्छुक परियोजना हेतु पूर्ण परियोजना प्रस्ताव सहित आनलाइन आवेदन करना होगा जिसके लिये पोर्टल पर आन लाइन भरने के साथ अपना फोटो, आधार कार्ड, बैंक से यदि ऋण लेना चाहते हैं तो बैंक का अग्रिम स्वीकृति पत्र व भूमि सम्बन्धी अभिलेख अपलोड करना होगा।

10. लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जायेगा व सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा अन्तर्गत ही लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की गाइड लाइन में निहित अनुमन्य मात्स्यिकी गतिविधियां, निर्धारित मानक एवं अर्हता का विस्तृत विवरण मत्स्य विभाग, उ0प्र0 के वेबसाइट http://fisheries.up.gov.inएवं भारत सरकार के मात्स्यिकी, मंत्रालय, नई दिल्ली के वेबसाइट https://dof.gov.in व https://pmmsy.dof.gov.in पर भी देखा जा सकता है अथवा मत्स्य विभाग के संबंधित जनपद/मण्डल स्तरीय कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

(एन एस रहमानी)
संयुक्त निदेशक मत्स्य
कृते निदेशक मत्स्य

पत्र संख्या- 1176 /प्र0मं0म0सं0यो0-सा0पत्रावली/2023-24तद्दिनांकित

प्रतिलिपि- अनु सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित
2-समस्त उप निदेशक मत्स्य/सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
3-श्री अंकुर सिंह, वरिष्ठ सहायक, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त सार्वजनिक सूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4-मार्ग साफ्टवेयर लिमिटेड, सप्रू मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु साफ्टवेयर के सम्बन्धित योजनाओं के सेग्मेन्ट को खोलने के सम्बन्ध में

5- प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को अप्ट्रान बिल्डिंग, गोमती नगर (समता मूलक चैराहा) को इस आशय से प्रेषित कि आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु साफ्टवेयर के सम्बन्धित योजनाओं के सेग्मेन्ट को खोलने का कष्ट करें

30.05.23

(एन एस रहमानी)

संयुक्त निदेशक मत्स्य

कृते निदेशक मत्स्य